रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266444 CG-DL-E-26092025-266444

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4259]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/ आश्विन 4, 1947
No. 4259]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

## गृह मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4379(अ) —जबिक, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.03.2025 की अधिसूचना का.आ. 1538(अ) के तहत 5 जिलों के 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.04.2025 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और जबिक, मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

अब, इसलिए, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.10.2025 से छ: माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है:-

क्रम संख्या	पुलिस थानों के नाम	ज़िला
1.	इंफाल	इंफाल पश्चिम
2.	लाम्फेल	
3.	सिटी	

6434 GI/2025 (1)

4.	सिंगजामेई	
5.	पाटसोई	
6.	वांगोई	
7.	पोरोम्पैट	इम्फाल पूर्व
8.	हिंगांग	
9.	इरिलबंग	
10.	थौबल	थौबल
11.	बिष्णुपुर	बिष्णुपुर
12.	नामबोल	
13.	काकचिंग	काकचिंग

[फा. सं.11011/51/2015-एन.ई.-V] राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

**S.O. 4379(E)**—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared entire State of Manipur, excluding the areas falling under the jurisdiction of the 13 (thirteen) Police Stations of 5 districts, as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.04.2025 vide Notification S.O.1538 (E) dated 30.03.2025.

And whereas, a further review of the law and order situation in the state of Manipur has been undertaken.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the entire State of Manipur, excluding the areas falling under the jurisdiction of the following 13 (thirteen) Police Stations of 5 districts, is declared as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.10.2025, unless withdrawn earlier:-

Sl. No.	Name of Police Station	District
1.	Imphal	Imphal West
2.	Lamphel	
3.	City	
4.	Singjamei	
5.	Patsoi	
6.	Wangoi	
7.	Porompat	Imphal East

8.	Heingang		
9.	Irilbung		
10.	Thoubal	Thoubal	
11.	Bishnupur	Bishnupur	
12.	Nambol		
13.	Kakching	Kakching	

[F. No.11011/51/2015-NE.V] RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.